



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236672
CG-DL-E-17062022-236672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]
No. 158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

सं. पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी.—भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने तथा वैकल्पिक ईंधनों के वितरण को प्रोत्साहित करने और दूर-दराज के क्षेत्रों में खुदरा नेटवर्क को बढ़ाने तथा उच्च स्तरीय ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 08.11.2019 का संकल्प सं.पी-12029(11)/2/2018-ओएमसी-पीएनजी जारी किया था।

जबकि केन्द्र सरकार को लगता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि देश में हर समय ईंधन की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्राधिकृत कंपनियों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जाए।

और जबकि दिनांक 08.03.2002 के संकल्प सं.पी-23015/1/2001-विपणन में “खुदरा सेवा प्रतिबद्धता”, जिसमें खुदरा उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट कार्य समय और विनिर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा वाले एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता शामिल है, की अनुपालना का प्रावधान किया गया है।

अतः अब दिनांक 08.11.2019 के संकल्प के खंड 13.3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लोकहित में उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय लिया है:-

i. खंड 6.2.4 में

- क. मुख्य नोट में “दूरस्थ सेवा आरओ” शब्दों के बाद “सहित खुदरा विक्री केन्द्रों” शब्दों को जोड़ा जाएगा।
- ख. प्रथम पंक्ति में “केन्द्रों” शब्द के बाद “सहित खुदरा विक्री केन्द्रों” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

ii. खंड 6.2.5, उप खंड (ii) पंक्ति 1 में “प्रतिनिधित्व करने,” शब्दों के बाद “सार्वभौमिक सेवा दायित्व की अनुपालना,” शब्दों को जोड़ा जाएगा।

3. इसमें निहित निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 17th June, 2022

No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG.—The Government of India had issued the Resolution No. P-12029(11)/2/2018-OMC-PNG dated 08.11.2019 with the objective of increasing private sector participation while also encouraging dispensing of alternate fuels and augmentation of retail network in remote areas and ensuring higher levels of customer service.

Whereas, it appears to the Central Government that it is expedient in the public interest that the commitment of authorised entities be ensured towards maintaining uninterrupted fuel supply in the country at all times.

And, whereas the resolution no. P-23015/1/2001-Mkt., dated 08.03.2002, provided for compliance of ‘Retail Service Obligation’ which included the obligation for maintaining supplies of MS and HSD to retail consumers throughout the specified working hours and of specified quality and quantity.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause 13.3 of the Resolution dated 08.11.2019, the Central Government, in public interest, has decided to make following amendments in the said resolution:

- i. In clause 6.2.4,
 - a. In the head note after the word “for”, words “retail outlets including” shall be inserted.
 - b. In the first line after the words “in respect of”, words “retail outlets including” shall be inserted.
 - ii. In clause 6.2.5, sub-clause (ii), in line 1, after the words “in terms of”, words “adherence to Universal Service Obligation,” shall be inserted.
3. The decision herein contained will come into force at once and will remain in force till further orders.

Dr. NAVNEET MOHAN KOTHARI, Jt. Secy.